विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राजस्व एवं आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्रों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाले दो अध्याय शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में *"वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (ई-वे बिल) प्रणाली"* पर निष्पादन लेखापरीक्षा और *"वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी"* पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और दो अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं, जिनका कुल मौद्रिक मूल्य ₹ 1,985.04 करोड़ है। सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित अध्याय II में दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं शामिल हैं - एक *"रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी का प्रबंधन"* और दूसरी *"रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ई-खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन"* तथा छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ भी शामिल हैं जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 45.12 करोड़ है। इस प्रतिवेदन में वर्णित कुछ प्रमुख निष्कर्षों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

अध्याय I: राजस्व क्षेत्र

परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.र.क्षे.दि.स.) की वर्ष 2022-23 की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 62,703 करोड़ थीं, जब कि वर्ष 2018-19 में यह ₹ 43,112.60 करोड़ थीं। वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्ति में से ₹ 47,363 करोड़ (75.53 *प्रतिशत*) कर राजस्व था, जब कि गैर-कर राजस्व ₹ 581 करोड़ (0.93 *प्रतिशत*) और भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 14,759 करोड़ (23.54 *प्रतिशत*) था।

(पैराग्राफ 1.1.1)/पृष्ठ-1

वर्ष 2023-24 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन कर और राज्य उत्पाद शुल्क से संबंधित 22 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 145 मामलों में ₹ 220.59 करोड़ के कर/शुल्क की गैर/अल्प उगाही या तथा अन्य अनियमितताएं पाई गई। संबंधित विभागों ने इन लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कोई उत्तर नहीं दिया।

(पैराग्राफ 1.1.6)/पृष्ठ-8

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ

राजस्व विभाग

₹ 1.91 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का अल्प भुगतान - औद्योगिक/आवासीय दरों के बजाय कृषि- दर के गलत तरीके से लगाए जाने के कारण ₹ 1.91 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का अल्प भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 1.2)/पृष्ठ-9

निष्पादन लेखापरीक्षा

व्यापार और कर विभाग

वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली

1 अप्रैल 2018 से लागू किया गया इलेक्ट्रॉनिक-वे बिल (ईडब्ल्यूबी), वस्तुओं की आवाजाही के लिए आवश्यक एक दस्तावेज़ है और इसे वस्तुओं की आवाजाही से पहले उसके विवरण को दर्ज करने के लिए अभिकल्पित गया है। "वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 की अवधि सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा में राजस्व हितों की रक्षा में ईडब्ल्यूबी तंत्र और इसकी प्रभावशीलता की जांच के लिए 2018-19 से 2021-2022 की अवधि के लिए 36 करदाताओं के 120 ईडब्ल्यूबी का चयन किया गया, आठ करदाताओं के आठ अन्य ईडब्ल्यूबी को परस्पर पैन विश्लेषण के लिए चुना गया और उच्च मूल्य वाले एक ईडब्ल्यूबी का भी चयन किया गया। लेखापरीक्षा में ईडब्ल्यूबी का सत्यापन करने वाली एकमात्र कर-वंचन निरोधक इकाई का भी चयन किया गया और ईडब्ल्यूबी से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए चयनित इकाई से 50 दर्ज किए गए मामलों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा में ईडब्ल्यूबी प्रणाली की जांच करने में प्रणालीगत कमियां पाई गईं, जैसे कि 'अयोग्य करदाताओं का प्रशमन उगाही योजना के अंतर्गत बने रहना' और ई-वे बिल जारी होने के बावजूद करदाताओं द्वारा शून्य रिटर्न फाइल करना या रिटर्न फाइल न करना'। 'निरस्त करदाताओं द्वारा ई-वे बिल तैयार करना और एक ही इनवॉइस पर कई ईडब्ल्यूबी तैयार करना' जैसी श्रेणियों में अनुपालन

विचलन देखा गया। करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने में विभाग की दक्षता में भी कमियां पाई गईं।

(पैराग्राफ 1.3)/पृष्ठ-10

प्रतिवेदन में शामिल किए गए मौद्रिक मूल्य वाले कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- 759 इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (ईडब्ल्यूबी) तैयार करने वाले पांच करदाताओं ने इन ईडब्ल्यूबी में शामिल ₹ 33.89 करोड़ की जावक आपूर्ति के प्रति ₹ 4.68 करोड़ की कर देयताओं का भुगतान नहीं किया था, क्योंकि जीएसटीएन पोर्टल पर संबंधित महीनों के आंकड़ों की संवीक्षा से पता चला है कि करदाताओं ने शून्य जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल किया था।
- 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान 15 करदाताओं ने 580 ईडब्ल्यूबी तैयार किए जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 252.66 करोड़ और कर ₹ 31.46 करोड़ था, परंतु संबंधित महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं किया, इसलिए कर देयता का कोई भुगतान नहीं किया गया था।
- जुलाई 2017 से जनवरी 2021 के बीच 28 करदाताओं का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था। इन करदाताओं ने पंजीकरण निरस्त होने से पहले ₹ 734.75 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले 3,629 ईडब्ल्यूबी बनाए थे, जिनका कर प्रभाव ₹ 99.39 करोड़ था, जैसा कि जीएसटीएन पोर्टल पर ईडब्ल्यूबी एमआईएस रिपोर्ट से पता चला, और इन करदाताओं को जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल करके अपनी अंतिम कर देयताओं का भुगतान करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निरस्त 28 करदाताओं में से किसी ने भी पंजीकरण निरस्त करने के बाद जीएसटीआर-10 रिटर्न फाइल नहीं किया था और विभाग ने करदाताओं की लंबित कर देयताओं का निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।
- दिल्ली एसजीएसटी आयुक्तालय के अंतर्गत सात करदाताओं ने 32 इनवॉइसों के आधार पर ₹ 1.79 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य और ₹ 0.32 करोड़ के कर से जुड़े 65 ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे। प्रत्येक इनवॉइस संख्या का उपयोग दो से तीन ईडब्ल्यूबी तैयार करने के लिए किया गया था। चूंकि

करदाताओं ने एक ही इनवॉइस का उपयोग करके कई ईडब्ल्यूबी तैयार किए थे, इसलिए करदाताओं द्वारा उनके जीएसटीआर-1 रिटर्न में जावक आपूर्ति की कम रिपोर्टिंग का संभावित जोखिम था। यह भी देखा गया कि संबंधित करदाताओं ने या तो किसी भी परेषण के बारे में रिपोर्ट नहीं किया था या अपने जीएसटीआर-1 रिटर्न में केवल एक परेषण की सूचना दी थी। यह एक ही या समान इनवॉइस का प्रयोग करके कई ईडब्ल्यूबी तैयार करने पर रोक लगाने के लिए ईडब्ल्यूबी सामान्य पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण की कमी को इंगित करता है।

- 11 करदाताओं द्वारा ₹ 4.72 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले 18 ईडब्ल्यूबी संदिग्ध वाहनों का उपयोग करके, अर्थात् स्क्रैप, चोरी के, परित्यक्त, पंजीकरण निरस्त किए गए और निलंबित वाहनों आदि का उपयोग करके तैयार किए गए थे, अतः विभाग द्वारा इन लेन-देन की सत्यता की जांच की जानी थी, जो कि नहीं की गई थी।

- तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी में ₹ 14.99 करोड़ के आईटीसी का दावा किया था, जब कि जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी केवल ₹ 5.29 करोड़ था। इस प्रकार इन तीनों करदाताओं ने ₹ 9.70 करोड़ के अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया था।

- परस्पर पैन विश्लेषण के लिए आठ मामलों का चयन किया गया था। आईटीसी का लाभ उठाए जाने की सत्यता की जांच के लिए इन आठ करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा की गई थी। यह पाया गया कि आठ में से तीन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी के माध्यम से ₹ 109.77 करोड़ के आईटीसी का लाभ उठाया था। तथापि, जीएसटीआर-2ए के अनुसार केवल ₹ 106.44 करोड़ ही उपलब्ध था। इस प्रकार, इन करदाताओं द्वारा ₹ 3.33 करोड़ के आईटीसी का अतिरिक्त लाभ उठाया गया था।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए "जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी" पर अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। यह लेखापरीक्षा मुख्य रूप से वर्ष डाटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें 2018-21 के लिए फाइल

किए गए जीएसटी रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, खतरे के संकेत और कुछ मामलों में, नियम-आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों को उजागर किया गया। एसएससीए में दिल्ली राज्य कर विभाग के आधिकारिक फार्मेशनों (क्षेत्र) के निरीक्षण कार्यों का दो स्तरों पर, अर्थात् राज्य-व्यापी डाटा प्रश्नों के माध्यम से डाटा स्तर पर और वार्डों, जीएसटी रिटर्न और आंतरिक लेखापरीक्षा जिसमें करदाताओं के अभिलेखों की अभिप्राप्ति सम्मिलित है, की विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर आकलन करना सम्मिलित था।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में, 487 उच्च मूल्य की विसंगतियों में से विभाग ने केवल 127 मामलों में उत्तर दिए, जिनमें से विभाग ने 74 मामलों में ₹ 2,656.65 करोड़ के लिए एससीएन और 17 मामलों में ₹ 273.87 करोड़ के लिए एएसएमटी-10 जारी करके 91 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की थी। जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के जीएसटी रिटर्न में महत्वपूर्ण बेमेल का भी पता चला है। चयनित 70 करदाताओं में से, लेखापरीक्षा में इन करदाताओं के 344 मामलों में गैर-अनुपालन/कमियां देखी गईं, जिनमें राजस्व प्रभाव ₹ 3071.92 करोड़ था और टर्नओवर का बेमेल ₹ 3,710.17 करोड़ था।

(पैराग्राफ 1.4)/पृष्ठ-34

इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित दावा - निर्धारण प्राधिकारी ने विक्रेता व्यापारी द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित किए बिना एक निर्धारिती को ₹ 89.35 लाख के इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 89.35 लाख के कर की अल्प उगाही हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 72.70 लाख का ब्याज और ₹ 89.35 लाख का जुर्माना भी देय था।

(पैराग्राफ 1.5)/पृष्ठ-71

अध्याय II: आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र

परिचय

वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा, दिल्ली के कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 49 विभागों के कुल 784 लेखापरीक्षा योग्य

इकाइयों में से 240 इकाइयों[1] (30.61 *प्रतिशत*) की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल हैं- एक "रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी का प्रबंधन" और दूसरा "रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ई-खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन" और ₹ 45.12 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले छह अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ भी हैं।

अनुपालन लेखापरीक्षा

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड

कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करने पर ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय - डीएसएसबी ने विज्ञापित रिक्तियों को वापस लेने की अगली सूचना और इस संबंध में बाद में भेजे गए अनुस्मारकों की अनदेखी करते हुए, दिल्ली जल बोर्ड में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए एक परीक्षा आयोजित की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.2)/पृष्ठ-82

ऊर्जा विभाग

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी का प्रबंधन-

वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि को सम्मिलित करते हुए "रा.र.क्षे.दि.स. द्वारा विद्युत सब्सिडी का प्रबंधन" पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य, उपभोक्ताओं को सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया की जांच करना, इस तरह के वितरण को नियंत्रित करने वाले लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन का आकलन करना और उपभोक्ता शुल्कों पर निरंतर सब्सिडी के दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण करना था।

दिल्ली में वर्ष 2003-04 से विद्युत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। दिल्ली में विद्युत के बड़े उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता है, जो कुल विद्युत खपत का लगभग 60 *प्रतिशत* हिस्सा है। 2019-20 में, विद्युत सब्सिडी के रूप में ₹ 2,405.59 करोड़ की राशि दी गई थी, जो बाद में तीन वर्षों में 31 *प्रतिशत* बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,161 करोड़ हो गई।

[1] इनमें 15 शीर्ष लेखापरीक्षा संस्थाएं शामिल हैं, जिसका व्यय ₹ 7,128.72 करोड़ है।

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत क्षेत्र के लिए रा.र.क्षे.दि.स. की सब्सिडी नीति ने आबादी के पात्र और वंचित वर्ग को लक्षित नहीं किया और इसका लगभग समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को आधार बनाकर भुगतान किया गया।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि उच्च उपभोग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रति उपभोक्ता वास्तविक सब्सिडी व्यय बहुत अधिक था। 0 से 200 यूनिट उपभोग श्रेणी के अंदर आने वाले 30 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष औसतन ₹ 6,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई, जब कि 200 यूनिट से अधिक उपभोग वाले लगभग 16.60 लाख उपभोक्ताओं को प्रति कनेक्शन प्रति वर्ष औसतन ₹ 10,000 से अधिक की सब्सिडी मिली, जो लगभग 70 *प्रतिशत* अधिक थी।
- पचास हज़ार से अधिक उपभोक्ताओं को 12 महीने से अधिक समय तक लगातार शून्य खपत थी और उन्हें ₹ 17.81 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई, नब्बे हज़ार से अधिक उपभोक्ताओं को 6 से 11 महीने तक लगातार शून्य खपत पर ₹ 11.88 करोड़ की सब्सिडी मिली और 1 लाख 70 हज़ार से अधिक उपभोक्ताओं ने 3 से 5 महीने तक लगातार शून्य विद्युत का उपयोग किया और उन्हें ₹ 12.57 करोड़ की सब्सिडी प्राप्त हुई। यह खराब नीतिगत ढांचे का संकेत है और विद्युत उपभोग पर डाटा का आवधिक विश्लेषण केवल जरूरतमंद उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी देने के लिए एक विवेकपूर्ण नीति बनाने के लिए सरकार को अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सहायक हो सकता है। लंबे समय तक निष्क्रिय/बंद पड़े कनेक्शनों पर सब्सिडी खर्च करना व्यर्थ है और इससे कोई तर्कसंगत आर्थिक उद्देश्य पूरा नहीं होता है।
- रा.र.क्षे.दि.स. का फोकस लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर विचार किए बिना विद्युत सब्सिडी प्रदान करना था। मौजूदा सब्सिडी व्यवस्था के जारी रहने को देखते हुए, अनिवार्य टैरिफ वृद्धि का सीधा प्रभाव रा.रा.क्षे.दि.स. के सब्सिडी बिल पर पड़ेगा, जो सरकार के लिए असंधारणीय हो सकता है, यदि नीति को केवल एक लक्षित उपभोक्ता श्रेणी के लिए संशोधित नहीं किया जाता है। 400 यूनिट खपत के उच्च अवसीमा मूल्य का औचित्य अभिलेख में नहीं पाया गया, जिसमें लगभग 80 *प्रतिशत* घरेलू उपभोक्ता सम्मिलित हैं।

- सब्सिडी रा.र.क्षे.दि.स. के कुल राजस्व व्यय का लगभग 10 *प्रतिशत* थी। 2019-20 से 2022-23 के दौरान कुल सब्सिडी में केवल विद्युत सब्सिडी का हिस्सा 66.96 से 70.39 *प्रतिशत* था, जो उपभोक्ताओं को विद्युत सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया और इसकी प्रभावशीलता का आकलन करने की आवश्यकता पर बल देता है।

- 2014-15 के बाद टैरिफ में वृद्धि नहीं की गई है और इसलिए वर्तमान टैरिफ में विद्युत की खरीद और वितरण की वास्तविक लागत नहीं दिखाई गई है। लागत और वसूली के बीच इस बेमेल के कारण अप्राप्त खर्चों का निरंतर संचय हुआ, जिन्हें वर्ष दर वर्ष "नियामक परिसंपत्तियों" के रूप में ट्रू-अप किया गया है और डिस्कॉम के तुलन-पत्र में एक परिसंपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह डिस्कॉम द्वारा की गई लागतों का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्य में विनियमित दरों या टैरिफ के माध्यम से ग्राहकों से वसूल किए जा सकते हैं। दिल्ली डिस्कॉम की नियामक परिसंपत्तियां, जो 2019-20 में ₹ 9,063 करोड़ थीं, 31 मार्च 2021 तक ₹ 27,200.37 करोड़ हो गई हैं।

(पैराग्राफ 2.3)/पृष्ठ-84

सिफारिश: *सरकार को चाहिए कि:*

- *योग्य लाभार्थियों को विद्युत सब्सिडी को लक्षित करने के लिए डिस्कॉम के उपभोक्ता बिलिंग डाटा की समीक्षा करें।*
- *संपन्न उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाली व्युत्क्रमित सब्सिडी की स्थिति को रोकने के लिए सब्सिडी को 3 किलोवाट तक स्वीकृत लोड से जोड़ने के लिए डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर विचार करें।*
- *सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डीबीटी शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाए।*
- *बढ़ती नियामक परिसंपत्ति देयता के कारण भावी टैरिफ शुल्कों पर प्रभाव का आकलन करें, साथ ही अस्वीकृत उपभोक्ता शुल्कों के कारण राज्य के वित्त पर छोड़े गए राजस्व के प्रभाव का आकलन करें।*

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

त्रुटिपूर्ण संविदा के कारण ₹ 1.93 करोड़ का परिहार्य भुगतान - जीटीबी अस्पताल ने प्रशासनिक विभाग के निर्देश पर 11 अक्टूबर 2014 को 224 नर्सिंग अर्दली और ग्रुप 'डी' कर्मचारी प्रदान करने के लिए मैसर्स सर्वेश सिक्योरिटीज़ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स एसएसएसपीएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अनुबंध को 15 मार्च 2016 तक बढ़ा दिया गया। इस अनुबंध में अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान का प्रावधान था। अस्पताल ने अनुबंध के बाद समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम मज़दूरी की संशोधित दर के अनुसार भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार के साथ विवाद हुआ और यह न्यायलय के हस्तक्षेप के बाद और ₹ 1.93 करोड़ का परिहार्य भुगतान करने के बाद समाप्त हुआ।

(पैराग्राफ 2.4)/पृष्ठ-105

उद्योग विभाग

दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी)

₹ 29.45 करोड़ का निष्फल व्यय - डीएसआईआईडीसी ने ग्रामीण विकास विभाग, रा.र.क्षे.दि.स. से रत्न एवं आभूषण पार्क और फैशन डिजाइन हब स्थापित करने के लिए बापरोला में 137.63 एकड़ भूमि पर 99 वर्षों के लिए पट्टा अधिकार प्राप्त किए (दिसंबर 2006)। भूमि आबंटन के 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद, आबंटित भूमि के 59 *प्रतिशत* (81.42 एकड़) के इच्छित/परिकल्पित उपयोग में अनिर्णय और निरंतर परिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 29.45 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, डीएसआईआईडीसी पर आबंटित भूमि के लंबित वार्षिक भू-किराए के रूप में ₹ 15.79 करोड़ की अभुक्त देयता बनी।

(पैराग्राफ 2.5)/पृष्ठ-108

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ई-खरीद प्रणाली का कार्यान्वयन

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1,185 निविदाओं को मैन्युअल रूप से जारी करने के अतिरिक्त, मॉड्यूल की कुछ प्रमुख विशेषताएं पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थीं। ई-खरीद पोर्टल में ईएमडी भुगतान गेटवे के एकीकृत

न होने के कारण बयाना राशि जमा को ऑफ़लाइन एकत्रित किया गया था। निविदाओं के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में मैनुअल हस्तक्षेप और मॉड्यूल में व्यावसायिक नियमों की मैपिंग न होना पाया गया, जो डिज़ाइन स्तरीय नियंत्रण की कमी और प्रणाली में उचित सत्यापन नियंत्रण के आभाव को दर्शाता है।

- डाटा विश्लेषण से पता चला कि कुल 50,903 पंजीकृत बोलीदाताओं में से, प्रणाली ने अनिवार्य पैन संख्या के बिना 66 बोलीदाताओं को पंजीकरण की अनुमति दी, जिनमें से 12 बोलीदाताओं ने 28 वैध बोलियों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, ₹ 530.25 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 45 निविदाओं में, सामान्य पैन के साथ पंजीकृत बोलीदाताओं ने एक ही निविदा में बोली प्रस्तुत की, जिससे बोलीदाताओं के बीच दुरभिसंधि का संदेह उत्पन्न होता है। इसी तरह, 12,283 बोलीदाताओं ने केवल 5,658 ईमेल आईडी का उपयोग किया, जो इंगित करता है कि प्रणाली द्वारा एक ही ईमेल आईडी से कई बोलीदाताओं के पंजीकरण की अनुमति दी गई है। विशेष रूप से, 38 निविदाओं (₹ 2.52 करोड़ के निविदा मूल्य वाले) में, सभी बोलियां एक ही ईमेल आईडी से पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा लगाई गईं, जो संदिग्ध कवर बोली का संकेत देती है।
- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभागीय उपयोगकर्ताओं और बोलीदाताओं द्वारा अमान्य/समान मोबाइल नंबर से पंजीकरण किया गया है जो इनपुट सत्यापन नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।
- डाटा विश्लेषण से पता चला कि ₹ 3,217.44 करोड़ के निविदा मूल्य वाली 7,181 निविदाओं से संबंधित 14,527 वैध बोलियों के मामले में, बोलीदाताओं ने एक ही आईपी पते का उपयोग किया, जो विभागीय उपयोगकर्ताओं और बोलीदाताओं के बीच हितों के टकराव का संकेत है। लेखापरीक्षा के दौरान जन्म तिथि के विवरण के बिना पंजीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय उपयोगकर्ताओं का प्रणाली में लॉग इन करने, बोलीदाताओं का अनुचित पंजीकरण, अमान्य डीएससी के साथ दस्तावेज़ों को अपलोड करने और तकनीकी मूल्यांकन से पहले वित्तीय पैकेटों को डीक्रिप्ट करने के मामले भी देखे गए।

- लेखापरीक्षा में प्रणाली की डाटा की प्रमाणिकता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए विभाग के नियंत्रण तंत्र में कमियां देखी गईं। यह पता चला कि 1.55 लाख निविदाओं में से ₹ 3,254.68 करोड़ के निविदा मूल्य वाले केवल 5,363 निविदाओं (3.47 *प्रतिशत)* में संविदा आबंटन विवरण था। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान प्रणाली में केवल लगभग 34 *प्रतिशत* निविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन विवरण का अद्यतनीकरण, गलत टीआईए के प्रति ₹ 1,106.04 करोड़ की निविदा मूल्य वाली सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की 497 निविदाओं की गलत मैपिंग, निविदा मूल्यांकन के दौरान अप्रासंगिक और अपूर्ण दस्तावेज़ों को अपलोड करना आदि को भी देखा गया, जो अपर्याप्त आतंरिक नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 2.6)/पृष्ठ-111

सिफारिशें:

1. *प्रणाली के उपयोग को इष्टतम बनाने के लिए एक निर्दिष्ट समयावधि के अंदर सभी मॉड्यूल को सभी विभागों की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित अनुकूलन के साथ कार्यात्मक किया जाना चाहिए।*
2. *विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (टीआईए) केवल ई-खरीद प्रणाली पर ही निविदाएं जारी करें, जिनका मूल्य अवसीमा से अधिक है।*
3. *मौजूदा व्यावसायिक नियमों जैसे जीएफआर, खरीद मैनुअल आदि को ई-खरीद प्रणाली में सख्ती से मैप किया जाना चाहिए।*
4. *खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मज़बूत सत्यापन नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बोलीदाताओं की साझा साख को उजागर करने के लिए प्रणाली स्तर के अलर्ट तैयार किए जाने चाहिए।*
5. *मज़बूत और सुरक्षित ई-खरीद प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को ई-खरीद प्रणाली में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और जांच बिंदु स्थापित करके डाटा की पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए।*

लोक निर्माण विभाग

जल निकासी से संबंधित विचलित मात्राओं पर ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान - अनुमानित मात्रा का पता लगाने में वित्तीय विवेक और उचित सावधानी न बरतने के कारण अनुबंध के अनुसार अनुमेय सीमा से अधिक विचलन हुआ और इसके कारण जल निकासी से संबंधित तीन मदों की विचलित मात्राओं पर बाज़ार दरों में ₹ 5.63 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(पैराग्राफ 2.7)/पृष्ठ-137

परिवहन विभाग

अधिशेष निधियों के निवेश में विलंब के कारण ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की हानि - डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट अप्रैल 2020 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की अधिशेष निधि का समय पर निवेश करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.50 करोड़ के ब्याज की संभावित हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.8)/पृष्ठ-139

शहरी विकास विभाग

दिल्ली जल बोर्ड

₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान - संचालन और रखरखाव कार्य के लिए सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसी के नाम पर विद्युत कनेक्शन लेने के परिणामस्वरूप डीजेबी जैसी सार्वजनिक उपयोगिता के लिए निर्धारित कम दर (₹ 6.25 प्रति केवीएएच) के प्रावधान के बावजूद विद्युत बिलों का भुगतान (गैर-घरेलू श्रेणी के अंतर्गत) ₹ 8.50 प्रति केवीएएच की उच्च दर पर किया गया। विद्युत की लागत में वृद्धि के लिए एजेंसी को ₹ 1.56 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 2.9)/पृष्ठ-141

****